


**कार्यालय, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं पदेन सचिव  
जिला विकलांग कल्याण समिति रायसेन**

**--: विज्ञापन :-**


जिला विकलांग तथा पुनर्वास केन्द्र रायसेन के लिये निम्नलिखित पदो को एक वर्ष की संविदा पर पूर्ति के लिये अस्थाई एवं मानदेय पर आवदेन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें	निर्धारित मानदेय	पद संख्या
1	सीनियर फिजियोथेरापिस्ट/ ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट	Post Graduate in related in related field with 5 years experience	रु. 20,000/- प्रतिमाह	01
2	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट / ऑर्थोटिस्ट	Degree in prosthetic and Orthotic Preferably form national institute with 5 Years experience OR a diploma in prosthetic and orthotic with 6 Years experience	रु. 20,000/- प्रतिमाह	01
3	सीनियर स्पीचथेरापिस्ट/ ऑडियोलॉजिस्ट	Post Graduate in related in related field / B.Sc. (Speech & Hearing)	रु. 20,000/- प्रतिमाह	01
4	ईयर मोल्ड टेक्निशियन	Diploma in speech & Hearing with Knowledge of hearing aids repair/ear mould making	रु. 16,000/- प्रतिमाह	01
5	मल्टीपर्पज रिहेब्लिटेशन वर्कर	10+2 with diploma in CBR/MRW course OR one years diploma course in early childhood special education with two years experience.	रु. 12,000/- प्रतिमाह	01
6	विशेष शिक्षक (मेंटल रिटार्डेशन/ ऑटिज्म / सेरेब्रल पॉल्सी)	Graduate (General) B.Ed. in special education in MR with 2 years experience OR Diploma in special education in MR with 3 years experience.	रु. 16,000/- प्रतिमाह	01

  
 उप संचालक  
 सामाजिक न्याय एवं  
 निःशक्तजन कल्याण विभाग  
 जिला रायसेन

## // नियुक्ति संबंधी सेवा शर्ते //

- 1- सभी पद अस्थाई मानदेयी हैं।
- 2- अभ्यर्थी के चयन में आयु (उम्र) तथा अन्य नियम राज्य सरकार के लागू होंगे।
- 3- आवेदन-पत्र बायोडाटा सहित फोटो तथा सभी प्रकार के योग्यता के प्रमाण-पत्र स्वयं प्रमाणित लिफाफे के साथ दिनांक 10.11.2016 सांय 5.00 बजे तक कार्यालय उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं पदेन सचिव जिला विकलांग कल्याण समिति रायसेन में आवेदन-पत्र जमा किये जा सकते है, नियत तिथि एवं समय के पश्चात् आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
- 4- पदपूर्ति एवं नियुक्ति संबंधी सेवा शर्ते एन.आई.सी. रायसेन की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
- 5- यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर 1 वर्ष के लिये रहेगे। किसी भी एक पक्ष द्वारा 1 माह के नोटिस पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है, 1 वर्ष के पश्चात् सेवार्यें संतोषप्रद पाये जाने पर समिति पुनः सेवा में वृद्धि कर सकती है।
- 6- चरित्र सत्यापन में आयोग्य पाये जाने पर बिना सूचना के नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
- 7- जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र में आयोग्य घोषित किये जाने पर सेवार्यें समाप्त की जावेगी।
- 8- नियुक्त व्यक्ति की शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायओं संबंधी प्रमाण-पत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सेवार्यें समाप्त कर दी जावेगी।
- 9- साक्षाकार के समय चयन समिति के समक्ष मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- 10- चयन समिति का निर्णय अंतिम निर्णय माना जावेगा।

  
 सामाजिक न्याय एवं पदेन सचिव  
 जिला विकलांग कल्याण  
 तथा विकास समिति जिला-रायसेन